(a) In column 5,- (i) for the heading the following shall be substituted, namely :—

"Whether selection or non-selection post"

(ii) for the entry against the post of Prinicipal Scientific Officer, Senior Scientific Officer Grade I and Senior Scientifc Officer Grade II, the following entry shall be substituted, namely :—

"Selection"

(b) In column 10, for the entry against the post of Senior Scientific Officer Grade-II, the following entry shall be substituted, namely:—

"One year"

[F. No. CP (G)/1505/RR/252/RR/D (Apptts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published in the Official Gazette vide SRO 89 dated 3rd July, 2003.

नई दिल्ली, 16 मई, 2006

का. नि. आ. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना इंजीनियर सेवा (मुख्य वास्तुविद्) भर्ती नियम, 1988, सेना इंजीनियर सेवा (ज्येष्ठ वास्तुविद्) भर्ती नियम' 1985' सेना इंजीनियर सेवा (वास्तुविद्, सहायक वास्तुविद् और तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 1988, और सेना इंजीनियर सेवा (उप वास्तुविद्) भर्ती नियम, 1985 जहां तक उनका संबंध मुख्य वास्तुविद्, ज्येष्ठ वास्तुविद्, वास्तुविद् (अकार्यकारी चयन श्रेणी), वास्तुविद् और उप वास्तुविद् के पदों से है, उन बातों के सिवाय अभिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का पदों से है, रक्षा मंत्रालय के अधीन, सेना इंजीनियर सेवा में मुख्य वास्तुविद्, ज्येष्ठ वास्तुविद्, वास्तुविद् (अकृत्यकारी चयन श्रेणी), वास्तुविद् और उप वास्तुविद् के पदों की भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना इंजीनियर सेवा, वास्तुविद् काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्व अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, उक्त अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** :-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. मुख्य वास्तुविद्	06* (वर्ष 2005 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित अननुसचिवीय	18400-500-22400 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** 14300-18300 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ वास्तुविद् जिसके पास उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो। (ख) निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुविद् में डिग्री या समतुल्य। (ii) वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनका ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)– 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव या अतिरिक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर या महानिदेशक (का.) मुख्य इंजीनियर की शाखा —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
2. ज्येष्ठ वास्तुविद्	41* (वर्ष 2005 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400-18300 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 33.34 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** (क) 10,000-15,200 रु. के वेतनमान में ऐसे वास्तुविद् जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें नियमित सेवा, यदि कोई जो उसने 12000-16500 रुपए के अकृत्यकारी चयन श्रेणी वेतनमान में की हो, भी है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी– (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, (ii) मूल काडर या विभाग में 12000-16500 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो।

1530 GI/06-2

11	12
	(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुविद् में डिग्री या समतुल्य । (ii) वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत हो। (iii) वास्तुविद् या ज्येष्ठ वास्तुविद् के रूप में दस वर्ष के कार्य का अनुभव हो। **टिप्पण**–(1) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)– 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. अतिरिक्त या संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय –सदस्य 3. महानिदेशक (का.) या उप महानिदेशक (का.) मुख्य इंजीनियर की शाखा –सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
3. वास्तुविद् (अकृत्यकारी चयन श्रेणी)	34* (वर्ष 2005 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	12000-375-16500 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** (क) वास्तुविद् (10,000-15,200 रु.) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर वास्तुविद् और उप वास्तुविद समूह 'क' के पदों पर नौ वर्ष की नियमित सेवा, की हो।

	12
	टिप्पण—जो अधिकारी सहायक वास्तुविद् श्रेणी-1 से प्रोन्नति पर नियुक्त किए गए हों, वास्तुविद् के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा लागू होगी। (ख) निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुविद् में डिग्री या समतुल्य । (ii) वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत हो। **टिप्पण** : *जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।*

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)– (i) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) संयुक्त महानिदेशक (का.) मुख्य इंजीनियर की शाखा रक्षा मंत्रालय —सदस्य (iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
4. वास्तुविद्	32* (वर्ष 2005 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	उप वास्तुविद् से प्रोन्नति के लिए अचयन और सहायक वास्तुविद् श्रेणी 1 से प्रोन्नति के लिए चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सहायक वास्तुविद् श्रेणी 1 से प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा (क) उप वास्तुविद् की श्रेणी से 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । (ख) सहायक वास्तुविद् की श्रेणी से 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।	**प्रोन्नति :** (क) उप वास्तुविद् 8000-13,500 रु. के वेतनमान में जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो, और जो निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो – (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से वास्तुविद् में डिग्री । (ii) वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत हो । (ख) (i) सहायक वास्तुविद् श्रेणी 1 (7500-12000 रु.) जिन्होंने श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसे सहायक वास्तुविद् श्रेणी 1 (7500-12000 रु.) जिन्होंने सहायक वास्तुविद् श्रेणी 1 और सहायक वास्तुविद् श्रेणी II (6500-10500 रु.) श्रेणी में नौ वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो जिसमें सहायक वास्तुविद् श्रेणी 1 के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुविद् में डिग्री या समतुल्य । (iii) वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (उप वास्तुविद् से वास्तुविद की प्रोन्नति के लिए)– (i) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय –अध्यक्ष (ii) संयुक्त महानिदेशक (का.) मुख्य इंजीनियर की शाखा –सदस्य (iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय –सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सहायक वास्तुविद् श्रेणी 1 से वास्तुविद् की प्रोन्नति के लिए) –** (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष (ii) महानिदेशक (का.) या उप महानिदेशक (का.) मुख्य इंजीनियर की शाखा, रक्षा मंत्रालय –सदस्य (iii) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय –सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सहायक वास्तुविद् श्रेणी 1 से प्रोन्नतों की पुष्टि के लिए) –** (i) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय –अध्यक्ष (ii) संयुक्त महानिदेशक (का.) मुख्य इंजीनियर की शाखा –सदस्य (iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय –सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
5. उप वास्तुविद्	22* (वर्ष 2005 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	8000-275-13500 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

7	8	9
नहीं	***आवश्यक :*** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वास्तुविदि की डिग्री या समतुल्य । (ii) व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव । (iii) वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत हो । **टिप्पण 1**:—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता

10	11	12
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):– (i) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) संयुक्त महानिदेशक (का.) मुख्य इंजीनियर की शाखा —सदस्य (iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. 85604/1/वा.का./आरआर/सीएससीसी/225/आरआर/रक्षा(नि)/06]

वी. ए. चावडा, अवर सचिव

1530 GI/06-3

New Delhi, the 16th May, 2006

S.R.O. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Military Engineer Services (Chief Architect) Recruitment Rules, 1988, Military Engineer Services (Senior Architect) Recruitment Rules, 1985, Military Engineer Services (Architect, Assistant Architect and Technical Officer) Recruitment Rules, 1988 and Military Engineer Services (Deputy Architect) Recruitment Rules, 1985, so far as they relate to the posts of Chief Architect, Senior Architect, Architect (Non-functional Selection Grade), Architect and Deputy Architect, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Architect, Senior Architect, Architect (Non-functional Selection Grade), Architect and Deputy Architect in the Military Engineer Services under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineer Services, Architect Cadre (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in Column 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, and other qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruit
1	2	3	4	5	6	7
1. Chief Architect	06* (for year 2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 18,400-500-22,400	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption and grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
By Promotion	**Promotion :** (a) Senior Architect in the pay scale of Rs. 14,300-18,300 with three years regular service in the grade, and (b) possessing the following qualifications :— (i) Degree in Architecture from a recognised University or equivalent. (ii) Registered with the Council of Architecture. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion : (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission ... Chairman (ii) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Defence ... Member (iii) Engineer-in-Chief or Director General (Pers), Engineer-in-Chief's Branch ... Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment or relaxation of any provisions of these rules.

1	2	3	4	5	6	7
2. Senior Architect	41* (for year 2005) *Subject to variation dependent on workload and cadre review.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 14,300-400-18,300	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
66.66% by Promotion 33.34 % by Deputation.	**Promotion :** (a) Architect in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 with nine years regular service, if including regular service if any rendered in the Non-fuctional Selection Grade, of Rs. 12,000-16,500. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers of the Central Government :— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience :— (i) Degree in Architecture of a recognised University or equivalent. (ii) Registered with the Council of Architecture. (iii) Ten years working experience as Architect or Senior Architect. **Note** : (1) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligble for consideration for appointment on deptuation. Similarly deputationist shall not be eligible for considration for appointment by promotion. (2) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion : (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission ... Chairman (ii) Additional or Joint Secretary, Ministry of Defence ... Member (iii) Director General (Pers), or Deputy Director General (Pers.), Engineer-in-Chief's Branch ... Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment or relaxation of any provision of these rules.

1	2	3	4	5	6	7
3. Architect (Non Functional Selection Grade)	34* (for the year 2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 12,000-375-16,500	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
Promotion	**Promotion :** (a) Architect in (Rs. 10,000-15,200) with Five years regular service in the grade, failing which, Architect with nine years of regular service in Group 'A' posts of Architect and deputy Architect, and **Note :** For officers appointed on promotion basis from Assistant Architects Grade-I, five years regular service as Architect shall be applicable. (b) possessing the following qualifications :— (i) Degree in Architecture of a recognised University or equivalent. (ii) Registered with the Council of Architecture. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period or promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committeec for considering Appointment, : (i) Joint Secretary, Ministry of Defence — Chairman (ii) Joint Director General (Pers.), Engineer-in-Chief's Branch — Members (iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence — Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment or relaxation of any provisions of these rules.

1530 GI/06-4

1	2	3	4	5	6	7
4. Architect	32* (for year 2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200	Non-Selection for promotion from Deputy Architect and selection for promotion from Assistant Architect Grade-I	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years for promotee Assistant Architect Grade-I

11	12
By Promotion (a) 50 % by promotion from the grade of Deputy Architect and (b) 50 % by promotion from the grade of Assistant Architect Grade-1	**Promotion :** (a) Deputy Architect in the pay scale of Rs. 8,000-13.500 with four years regular service in the grade, and possessing following qualifications :— (i) Degree in architecture from a recongnised University or equivalent. (ii) Registered with council of Architecture. (b) (i) Assistant Architect grade I (Rs. 7500-12000) with six years regular service in the grade, filing which, Assistant Architect grade-I (Rs. 7500-12000) with combined nine years of regular service in the grades of Assistant Architects Grade-I and assistant architect grade-II (Rs. 6500-10500) out of which four years regular service as Assistant Architect Grade-I and (ii) Possessing following qualifications :— (a) Degree in Architecture from a recognised University or equivalent. (b) Registered with council of Architecture. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion from Deputy Architect to Architect) : (i) Joint Secretary, Ministry of Defence —Chairman (ii) Joint Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member (iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary from Assistant Architect and for amending or relaxing any provision of these rules.

11	
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion from Assistant Architect Grade-I to Architect) :	
(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission	—Chairman
(ii) Director General (Personnel), or Joint Director General (Pers), Engineer-in-Chief's Branch	—Member
(iii) Joint Secretary, Ministry of Defence	—Member
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation of promotees from Assistant Architect Grade-I):	
(i) Joint Secretary, Ministry of Defence	—Chairman
(ii) Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch	—Member
(iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence	—Member

1	2	3	4	5	6	7
5. Deputy Architect	22* (for year 2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs.8,000-275-13,500	Not applicable	Not exceedings 35 years **Note 1 :** Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	No

8	9	10
Essential : (i) Degree in Architecture of a recognized University or Institution or equivalent. (ii) Two years experience in profession (iii) Registered with Council of Architecture.	Not applicable	Two years

8
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** Qualification(s) (regarding experience is or one relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

11	12
Direct Recruitment	Not applicable

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) (i) Joint Secretary, Ministry cf Defence —Chairman (ii) Joint Director General (Personnel), Engineer-in-Chiefs Branch —Member (iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence —Memberr	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making for direct recruitment and for amending or relaxing any provision of these recruitment rules.

[No. 85604/1/Arch Cadre/RR/CSCC/225/RR/D (Appts)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मई, 2006

का. नि. आ. 67.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल जे. सी. व्यास का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, महू में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/41/महू/सी/डीई/2001/887/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 5th May, 2006

S.R.O. 67.—In pursuance of sub-section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Mhow by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. J.C. Vyas.

[F. No. 19/41/Mhow/C/DE/2001/887/D (Q & C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.